राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर।

कमांक– प्रशि0/जीएनएम/जी–88/2010/1109 दिनांक– 21.05.10

जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाईफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2010–11 में प्रवेश हेतु
<u>संक्षिप्त विज्ञप्ति</u>

इस निदेशालय के अधीन संचालित 15 राजकीय तथा 150 निजी नर्सिंग स्कूल्स (संख्या परिवर्तनीय) जिनकी सूची मय उपलब्ध सीटों के विस्तृत विज्ञप्ति में उपलब्ध है, में सत्र 2010–11 में जनरल नर्सिंग एवं मिडवाईफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये दिनांक–05.07.2010 (सांय 6 बजे) तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन हेतु पात्रता/योग्यता की प्रमुख शर्तें निम्नानुसार है:–

1	शैक्षणिक योग्यता	पुरानी स्कीम में प्रथम वर्ष टी.डी.सी. अथवा नई (10+2) स्कीम से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से फीजिक्स, कैमेस्ट्री व बॉयलोजी विषयों के साथ सीनियर सैकण्ड्री परीक्षा अथवा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका के अनुसार अन्य **मान्यता प्राप्त बोर्डों** की इसके समकक्ष परीक्षा, उर्त्तीण होना अनिवार्य है । **(सामान्य एवं अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये <u>40 प्रतिशत</u> तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये <u>35 प्रतिशत</u> न्यूनतम प्राप्तांक अनिवार्य है) किसी जातिवर्ग में उक्त विषय वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर अन्य विषय वर्ग के उसी वर्ग के प्रत्याशी प्रवेश के पात्र होंगे।**
2	आयु (1.10.2010)	पुरूष अभ्यर्थी– न्यूनतम 17 वर्ष, अधिकतम 28 वर्ष। महिला अभ्यर्थी– न्यूनतम 17 वर्ष, अधिकतम 34 वर्ष। **अनुसूचित जाति/ जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार 5 वर्ष की छूट दी जावेगी।**
3	सीटों की संख्या	कुल सीटों की संख्या/संस्थाओ की संख्या (परिवर्तनीय) है। राजकीय नर्सिंग स्कूल्स = 900 सीटे निजी नर्सिंग स्कूल्स = 3310 सीटे
4	आरक्षण	अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 12 प्रतिशत तथा अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को 21 प्रतिशत आरक्षण नियमानुसार देय है। **अन्य पिछडा वर्ग में चयनित नही होने वाले विशेष पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को 1 प्रतिशत आरक्षण विशेष पिछडा वर्ग मे देय होगा।** विकलांग श्रेणी के लिये 3 प्रतिशत तथा विभागीय कर्मचारियों के लिये 10 प्रतिशत क्षैतिज आधार पर आरक्षण देय है। राजकीय जीएनएम स्कूल बांसवाडा की सभी सीटे जनजातिय उपयोजना क्षेत्र के जनजाति अभ्यार्थियों के लिये आरक्षित है तथा जनजातिय उपयोजना क्षेत्र के अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों तथा बांरा जिले की शाहबाद तथा किशनगंज तहसीलो के सहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थियों के लिये निजी नर्सिंग स्कूल्स में भी नियमानुसार आरक्षण होगा। **महिला अभ्यर्थी चयन के समय यदि गर्भवती पाई जाती हे तो उसको आगामी बैच में बिना पुनः आवेदन किये प्रशिक्षण मे सम्मिलित किया जावेगा बशर्ते की अभ्यर्थी चयन हेतु पूर्ण रूप से पात्रता रखती हो**
5	महिला आरक्षण	महिला अभ्यर्थियों के लिये 80 प्रतिशत सीटें आरक्षित है। **(आरक्षण की श्रेणीवार किसी वर्ग में महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा।)**
6	पाठ्यक्रम की अवधि	3 वर्ष एवं 6 माह, जिसमें 6 माह की इर्न्टनशिप भी शामिल है।
7	शिक्षण शुल्क	राजकीय प्रशिक्षण स्कूल 180/–रूपये वार्षिक। निजी प्रशिक्षण स्कूल 38000/–रूपये वार्षिक।
8	चयन प्रकिया	राज्य स्तरीय मेरिट एवं (काउंसलिंग के समय) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर कम्प्यूटराईज्ड काउंसिलिंग के द्वारा (अभ्यर्थी को 180/–रूपये का राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश हेतु तथा 10,000/– रूपये अग्रिम राशि का निजी स्कूल्स में प्रवेश हेतु डिमाण्ड ड्राफ्ट <u>"रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल,जयपुर "</u> के नाम जमा करा देने पर ही काउंसिलिंग में प्रवेश प्राप्त होगा।) अनुपस्थित एवं **उक्त ड्राफ्ट** नहीं जमा कराने वाले अभ्यर्थी के नाम पर विचार नहीं किया जावेगा।
9	आवेदन शुल्क	100/–रूपये (अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु 50 रूपये मात्र) शुल्क राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर जो, **आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान–जयपुर** के नाम देय हो, संलग्न करना आवश्यक है।
10	विस्तृत विज्ञप्ति तथा आवेदन प्रपत्र	विस्तृत विज्ञप्ति तथा आवेदन प्रपत्र विभागीय वैबसाईट **www. rajswasthya.nic.in** पर उपलब्ध है। साथ ही विज्ञप्ति निदेशालय, समस्त संयुक्त निदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालयों, समस्त राजकीय जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों तथा समस्त रोजगार कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर भी देखी जासकती है। आवेदन प्रपत्र की टंकित/हस्तलिखित प्रति में भी आवेदन स्वीकार्य होगा।
11	आवेदन किस पते पर	आवेदन **अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान–जयपुर** के पते पर भेजें। लिफाफे पर (जी.एन.एम प्रशिक्षण 2010 में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र) आवश्यक रूप से लिखें।

अधिक जानकारी हेतु कृपया बिन्दू संख्या–10 अनुसार विस्तृत विज्ञप्ति को देखें।

(बी.के. दोसी)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राज0 जयपुर

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:प्रशि./जीएनएम/जी–88/2010/1110 दिनांकः 21.05.2010

:: प्रवेश विज्ञप्ति ::

(जनरल नर्सिंग एवं मिडवाईफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रवेश ;2010.11)

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर के अधीन राजकीय/ निजी क्षेत्र में संचालित नर्सिंग स्कूलों (जिनकी सूची विज्ञप्ति के साथ प्रकाशित है) में सत्र **2010–11** हेतु प्रारम्भ होने वाले जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाईफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (तीन वर्ष छः माह, जिसमें छः माह की इन्टर्नशिप भी शामिल है) में प्रवेश हेतु योग्य महिला/पुरूष अभ्यर्थियों से विज्ञप्ति के साथ प्रकाशित निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र की प्रति विभागीय बेवसाईट से डाउनलोड करके प्राप्त की जा सकती है। उसके टंकित या हस्तलिखित प्रपत्र में भी आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। आवेदन पत्र **अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर को सम्बोधित करते हुये** रजिस्टर्ड/ साधारण डाक या कोरियर से **05.07.10 (सांय 6.00 बजे)** तक भिजवाये जा सकते हैं। आवेदन व्यक्तिगत रूप से स्वीकार नहीं किये जा सकेंगे। आवेदन पत्र अन्तिम तिथि तक इस निदेशालय को प्राप्त हो जावे, इसकी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। **05.07.10 (सांय 6.00 बजे)** के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ 100/– रूपये (अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थी हेतु 50/–रूपये) के भारतीय पोस्टल आर्डर/डीडी जो **आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान–जयपुर** के नाम देय हो, संलग्न करना अनिवार्य है। उक्त प्रशिक्षण कोर्स हेतु आवेदन एवं प्रवेश की शर्तों का विवरण निम्नानुसार है:–

(A) **शैक्षणिक योग्यता**

(i) पुरानी स्कीम में प्रथम वर्ष टी.डी.सी. अथवा नई (10+2) स्कीम से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से फीजिक्स, कैमेस्ट्री व बॉयलोजी विषयों के साथ सीनियर सैकण्ड्री परीक्षा अथवा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका के अनुसार अन्य **मान्यता प्राप्त बोर्डों** की इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। **अभ्यर्थियों के लिये 40 प्रतिशत (अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 35 प्रतिशत) न्यूनतम प्राप्तांक अनिवार्य है।** (अंक तालिकाओं की सत्यापित प्रति, यदि पूरक परीक्षा उर्तीण हों, तो दोनों परीक्षाओं (मुख्य व पूरक) की, अंक तालिकाऐं संलग्न करें)।

(ii) यदि उपरोक्त योग्यता वाले अभ्यर्थी किसी वर्ग/श्रेणी में उपलब्ध नहीं होंगे, तो शेष रिक्त रही सीटों हेतु ही, अन्य विषय वर्ग (कृषि विज्ञान सहित) से उत्तीर्ण उसी जाति वर्ग/श्रेणी के अभ्यर्थियों को सम्मिलित कर मेरिट के आधार पर चयन किया जा सकेगा ।

(B) **आयु (1.10.2010 को संदर्भ मानकर गणना की जावेंगी।)**

(i) महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 17 वर्ष तथा अधिकतम 34 वर्ष। पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 17 वर्ष व अधिकतम आयु 28 वर्ष। (जन्म तिथि के प्रमाण के रूप मे सैकण्डरी परीक्षा की अंक तालिका/प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)

नोटः– (अन्य पिछडी जाति / अनुसूचित जाति /जन जाति के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में नियमानुसार पॉच वर्ष की छूट देय होगी ।)

(C) अन्य सामान्य जानकारी

(i) जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण की अवधि एवं पाठ्यक्रम भारतीय नर्सिंग परिषद के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा।

(ii) प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों का एक प्रशिक्षण केन्द्र से अन्य प्रशिक्षण केन्द्र पर स्थानान्तरण पूर्णतः निषिद्ध होगा।

(iii) प्रशिक्षण हेतु महिला एवं पुरूष अभ्यर्थियों का चयन 80:20 अनुपात में होगा। किसी वर्ग/श्रेणी में महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की स्थिति में उसी वर्ग/श्रेणी के पुरूष अभ्यर्थियों को प्रवेश देय होगा।

(iv) चयनित अभ्यर्थियों को तीन माह के प्रशिक्षण के बाद पी.टी.एस. परीक्षा उत्तीर्ण करनां अनिवार्य होगा । जिसमें अनुत्तीर्ण होने पर प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण से पृथक किया जा सकेगा ।

(v) आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् कोई भी अन्य प्रमाण पत्र न तो जोडा जाएगा और न ही संशोधित किया जावेगा।

(vi) आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र मे नही होने, अहस्ताक्षरित होने, शुल्क संलग्न न होने अथवा अपूर्ण होने की स्थिति मे निरस्त कर दिया जावेगा।

(vii) प्रशिक्षण मे चयन हेतु नियमानुसार राज्य स्तरीय मेरिट सूची तैयार की जावेगी। अतः सभी संस्थाओं हेतु एक ही आवेदन पत्र भरा जावे। उसी के आधार पर मेरिट अनुसार संस्था का आवंटन कर दिया जावेगा।

(viii) अभ्यर्थी को पूर्णरूपेण स्वस्थ होना अनिवार्य है जिसके लिये उन्हें प्रशिक्षण में ज्योईनिंग के समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थी चयन के समय यदि गर्भवती पाई जाती है तो उसको आगामी बैच में बिना पुनः आवेदन किये प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जावेगा। बशर्ते कि अभ्यर्थी चयन हेतु पूर्ण पात्रता रखती हो।

(ix) आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र के साथ 9 X 4 की साईज के दो लिफाफे जिस पर स्वयं का पूर्ण पता लिखा हो, संलग्न करना आवश्यक है ।

(x) सत्र प्रारम्भ होने की सम्भावित तिथि **माह अगस्त 2010** है।

(D) कॉउन्सलिंगः–

1. काउन्सलिंग की संभावित अविध **माह अगस्त 2010** से है। काउन्सलिंग में अभ्यर्थी का व्यक्तिशः उपस्थित होना अनिवार्य है। विशेष परिस्थिति में अभ्यर्थी के साथ अधिकतम एक अभिभावक को काउॅसलिंग में अनुमति दी जा सकेगी। अनुपस्थित अभ्यर्थी का प्रवेश पाने का अधिकार समाप्त समझा जावेगा।
2. काउन्सलिंग की सूचना (विस्तृत कार्यक्रम) विभागीय वैबसाईट/नोटिस बोर्ड एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित की जावेगी। डाक से सूचना प्राप्त न होने पर भी उक्त सूचना के आधार पर काउन्सलिंग में उपस्थित होना होगा।
3. प्रशिक्षण केन्द्र का आवंटन काउन्सलिंग के दौरान अभ्यर्थी की राज्य स्तरीय मैरिट एवं अभ्यर्थी के विकल्प के आधार पर कम्प्यूटर के जरिये किया जावेगा। जिसकी सूचना विभागीय बेवसाईट व मुख्यालय एवं जिला कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध कराई जायेगी।अभ्यर्थियों को अपनी रूचि के प्रशिक्षण केन्द्रों को दर्शाते हुए विकल्प पत्र काउन्सलिंग स्थल पर ही भरकर प्रस्तुत करना होगा। किसी भी समय उपलब्ध रिक्त सीटों की सूचना कॉउन्सलिंग स्थल पर ही उपलब्ध रहेगी, जो विभागीय वैबसाईट पर भी देखी जा सकेगी। राजकीय प्रशिक्षण केन्दों में प्रवेश हेतु 180/–रूपये फीस तथा तथा निजी नर्सिंग स्कूल्स में प्रवेश हेतु 10000/–रूपये फीस पेटे अग्रिम राशि का बैंक ड्राफ्ट जो रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कॉउसिल, जयपुर के नाम देय हो। कॉउन्सलिंग स्थल पर ही दोनों ड्राफ्ट जमा कराना होगा। जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो सकेगा, उनको कॉउन्सलिंग पूर्ण होने के बाद उनका जमा कराया गया बैंक ड्राफ्ट लौटा दिया जायेगा।

4. प्रवेश शुल्क/अग्रिम राशि के दोनों ड्राफ्ट जमा कराने के बाद ही काउन्सलिंग कक्ष में प्रवेश दिया जावेगा। अन्यथा स्थिति में अनुपस्थित मानकर प्रवेश अधिकार समाप्त माना जावेगा। अभ्यर्थी की रूचि के केन्द्र में प्रवेश न मिलने की स्थिति में, मौके पर समर्पण पत्र प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी द्वारा जमा ड्राफ्ट लौटा दिया जावेगा। ऐसा अभ्यर्थी पुनः प्रवेश का अधिकारी नहीं रहेगा। चयनित अभ्यर्थियों को आवंटन पत्र,कॉउसलिंग स्थल पर ही उपलब्ध करा दिया जायेगा।

5. रूचि के केन्द्र में प्रवेश मिलने पर, काउन्सलिंग कक्ष में सहमति व्यक्त करने के बाद काउन्सलिंग समाप्त होने के पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश नहीं लेगा/प्रशिक्षण को छोड देता है तो उसकेद्वारा जमा राशि जब्त योग्य होगी।

6. सर्वप्रथम राजकीय प्रशिक्षण केन्द्रों की सीटों पर "आरक्षण की श्रेणीवार" प्रवेश दिया जायेगा और **वर्गवार राजकीय केन्द्रों की सीटें समाप्त होते ही निजी नर्सिंग स्कूल्स हेतु आवंटन प्रारम्भ कर दिया जावेगा।** अतः अभ्यर्थी को दोनों तरह के सम्भावित प्रवेश की तैयारी के साथ आना होगा। प्रवेश लेने की सहमति/असहमति मौके पर ही देनी होगी। उसके लिए काउन्सलिंग कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

7. निजी नर्सिंग स्कूल्स की प्रथम काउॅसलिंग के बाद प्रवेशित अभ्यर्थियों की उपस्थिति की सूचना संबंधित निजी नर्सिंग स्कूल को निर्धारित अवधि में तत्परता से प्रस्तुत करनी होगी। यदि उपस्थित अभ्यर्थियों की सूचना किसी संस्थान द्वारा नहीं दी गई या सूचना देने मे विलम्ब किया गया तो ऐसी निजी नर्सिंग स्कूल में आवंटन नहीं होने के फलस्वरूप रिक्त रहने वाली सीटो के लिये ऐसी निजी नर्सिंग स्कूल का स्वंय का दायित्व होगा एवं आगामी काउन्सलिंग में उस नर्सिंग स्कूल को सम्मिलित नही किया जावेगा।

8. काउॅसलिंग हेतु विलम्ब से उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी का उनकी उपस्थिति के समय उपलब्ध रिक्त सीटों पर ही विकल्प मान्य होगा।

9. प्रवेशित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रादि/अंकतालिका उनके नर्सिंग स्कूल्स में ही रहेंगे और इनका सम्बन्धित बोर्ड/संस्थान से सत्यापन करा लिये जाने के बाद ही लौटाया जा सकेगा। यदि सत्यापन के दौरान कोई दस्तावेज फर्जी पाया जायेगा, तो ऐसे अभ्यर्थी को तत्काल प्रशिक्षण से पृथक करते हुये उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराया जायेगा।

10. राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र, आवंटित होने की स्थिति में अभ्यर्थी को मूल दस्तावेज भी कॉउसलिंग स्थल पर ही जमा कराने होंगे, अन्यथा प्रवेश रद्द समझा जायेगा।

(E) विभागीय सेवारत कर्मचारी–

राजकीय जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए राज्य सेवा में कार्यरत विभागीय कर्मचारियों के लिए योग्यताएं/शर्तें निम्न प्रकार हैं:–

(1) योग्यताधारी विभागीय कर्मचारी ,नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से, निर्धारित तिथि तक, आवेदन करें।

(2) चयनित होने पर विभागीय कर्मचारियों को नियमानुसार अवकाश लेना होगा।

(3) राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.8 (6) चि/ग्रुप–3/88 दिनांक 14.10.1997 के प्रावधानानुसार विभागीय कर्मचारी दिनांक 1.10.2010 को 35 वर्ष से अधिक आयु के नहीं होने चाहिए तथा उक्त दिनांक को पॉच वर्ष की सेवाकाल पूर्ण करना अनिवार्य होगा । राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.5 (5) चि.स्वा–3/93 पार्ट दिनांक 01.01.2000 के प्रावधानानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी ।

(F) <u>आरक्षण</u>

(i) अन्य पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों के लिए 21 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 12 प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं। **अन्य पिछडा वर्ग में चयनित नही होने वाले विशेष पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को 1 प्रतिशत आरक्षण विशेष पिछडा वर्ग मे देय होगा।** राजस्थान राज्य के ही आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आरक्षरण देय होगा। (प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)

(ii) विकलांग अभ्यर्थियों को तीन प्रतिशत आरक्षण केवल ओ.एल. (वन लेग) श्रेणी में होरिजेण्टल/वरीयता के आधार पर देय होगा। 40 प्रतिशत से कम विकलांगता होने तथा प्रमाण पत्र 3 वर्ष से अधिक पुराना होने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। (सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

(iii) राजकीय जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र, बांसवाड़ा केवल अनुसुचित जनजाति के, लिए आरक्षित है, इस हेतु जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अर्थात बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिला तथा उदयपुर जिले की खैरवाड़ा/सराड़ा/सलूम्बर/ धरियावाद/कोटडा तथा गिरर्वा तहसीलों के जनजाति विकास विभाग उदयपुर द्वारा निर्धारित 81 गांवों के अभ्यर्थी, **<u>प्रतापगढ जिले की अरनोद/प्रतापगढ़ तहसीलों</u>,** के जनजाति तथा सिरोही जिले की आबूरोड़ तहसील एवं बारां जिले की किशनगंज व शाहबाद पंचायत समितियों के सहरिया जनजाति के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी आवेदन के पात्र हैं ।

(नोटः जनजाति विकास विभाग द्वारा जनजाति उपयोजना क्षेत्र में किया जाने वाला परिवर्तन मान्य होगा ।)

(iv) जनजातिय उपयोजना क्षेत्र के अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों का एवं बारां जिले कि शाहबाद एवं किशनगंज तहसीलो के शहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थियों के लिये निजी नर्सिंग स्कूल्स में भी नियमानुसार आरक्षण होगा। जिसके लिये ऐसे अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी से जारी प्रमाण पत्र की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

(v) राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.5 (330) चिस्वा/ग्रुप–3/97 दिनांक 26.11.2002 के प्रावधानानुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत विभागीय कर्मचारियो (सभी संवगो) को प्रवेश मे 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ होरिजेन्टल बेसिस पर वरीयता के आधार पर दिया जावेगा।महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता / महिला स्वास्थ्य दर्शिका हेतु प्रशिक्षण कोर्स की अवधि 3 वर्ष निर्धारित है तथा इन्हें 6 माह के मिडवाईफरी प्रशिक्षण की छूट होगी।

(नोटः क्र.सं. (v) में उल्लेखित विभागीय कर्मचारी तथा क्रम संख्या।। में उल्लेखित विकलांग अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर प्रशिक्षण की सीटों को सामान्य अभ्यर्थियों से भरा जावेगा ।

(G) <u>फीस :–</u>

"राजकीय स्कूल्स में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में प्रवेश हेतु काउंसलिंग स्थल पर ही राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 180/–तदर्थ फीस राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट "रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कॉउसिंल, जयपुर "के नाम जमा कराना होगा" तथा इस आशय का शपथ पत्र प्रवेशार्थी/प्रवेशार्थी के संरक्षक द्वारा प्रस्तुत करना होगा कि राजकीय निर्णय अनुसार शुल्क में जो वृद्धि की जावेगी,उस शुल्क के अन्तर की राशि उसके द्वारा जमा करा दी जावेगी।

निजी क्षैत्र में संचालित नर्सिंग स्कूल्स में प्रवेश हेतु राज्य सरकार द्वारा उक्त कोर्स के लिये फीस 38000/- वार्षिक अधिकतम तथा छात्रावास (निवास की स्थिति में) शुल्क के रूप में सिंगल बैडेड रूम रूपये 12000/-अधिकतम, डबल बैडेड रूम रूपये 8000/- अधिकतम व ट्रिपल बैडेड रूम रूपये 6000/-अधिकतम निर्धारित है। निजी क्षैत्र के संचालित नर्सिंग स्कूल्स में प्रवेश हेतु भी काउन्सलिंग से पूर्व अभ्यर्थियों को काउन्सलिंग स्थल पर ही फीस के पेटे 10000/- रूपये टोकन मनी के रूप में अग्रिम राशि का बैंक ड्राफ्ट **"रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग काउँसिल"** के नाम का जमां करवाना आवश्यक होगा। अन्यथा वरीयता सूची के अगले अभ्यर्थी को उसकी जगह प्रवेश दे दिया जावेगा।

(बी0के दोसी)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाईफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2010–11
प्रवेश हेतु आवेदन का प्रारूप

भाग – अ

स्वयं का पासपोर्ट पास पोर्ट साईज फोटोका हस्ताक्षरित फोटो चिपकाएें।

कृपया अपने से सम्बन्धित बॉक्स पर (√) चिन्ह अंकित करें।

1. सीनियर सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा में अभ्यर्थी का ऐच्छिक विषय (फैकल्टी) :–
   साईन्स (बॉयलोजी) ☐ अन्य विषय ☐
   (उक्त परीक्षा की अपनी अंकतालिका की प्रति भी संलग्न करे।)
2. अभ्यर्थी का लिंग :– **महिला** ☐ पुरूष ☐
3. अभ्यर्थी का जाति वर्ग :–
   सामान्य ☐ अनुसूचित जाति ☐ अनुसूचित जनजाति ☐ अन्य पिछडी जाति ☐
   विशेष पिछडा वर्ग ☐ **टीएसपी** अनुसूचित जनजाति ☐ टीएसपी अनु**सूचित** जाति ☐
4. क्या अभ्यर्थी विकलांग (OL) **श्रेणी** में प्रवेश का पात्र है :– हाँ ☐ नहीं ☐
   (प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)
5. यदि अभ्यर्थी विभागीय राज्य कर्मचारी है, तो किस श्रेणी में पात्रता रखता है:–
   स्वास्थ्य कार्यकर्ता ☐ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ☐ अन्य कर्मचारी ☐
   (भाग 'स' को भरना अनिवार्य है।)
6. परीक्षा शुल्क विवरणः– बैंक ड्राफ्ट द्वारा ☐ पोस्टल आर्डर द्वारा ☐

6.1 बैंक डी.डी. नं./पोस्टल आर्डर नं. .... दिनांक ....राशि (रूपये)............................

6.2 बैंक (मय ब्रांच)/पोस्ट ऑफिस का नाम..

भाग – ब

1. अभ्यर्थी का नाम (हिन्दी में)..
   (अंग्रेजी में)..
2. पिता/पति का नाम
   (हिन्दी में) ....
   (अंग्रेजी में.)..
3. जन्म तिथि _ _/_ _/_ _ _ _ (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
4. दिनांक 01.10.2010को आयु :– वर्ष _ _ माह _ _ दिन _ _
5. वर्तमान पता ....
   ....जिला............................
6. स्थाई पता ....
   ....जिला............................
7. दूरभाष नं. STD कोड सहित .... 8. Mobile No. (if any)........................

8	शैक्षणिक योग्यता (सीनियर सैकण्डरी अथवा समकक्ष का ही विवरण दें।)							
क्र. सं.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	रोल नम्बर	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांकों का प्रतिशत	ऐच्छिक विषय
								1. 2. 3.

भाग – स

(केवल विभागीय कर्मचारियों के लिए)

1.	नाम	....
2	पदनाम	स्वास्थ्य कार्यकर्ता ☐ चतुर्थ श्रेणी ☐ अन्य कर्मचारी ☐
3	नियुक्ति तिथि	– –/– –/– – – –
4	वर्तमान पदस्थापन स्थान	....जिला ....
5	जन्म दिनांक	– –/– –/– – – –

हस्ताक्षर आवेदक

उपरोक्त विवरण कार्यालय रिकार्ड अनुसार सही है।

हस्ताक्षर
नियुक्ति/प्रशासनिक अधिकारी मय
कार्यालय मोहर

भाग –द

<u>घोषणा</u>

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिए गए उपरोक्त विवरण एवं संलग्न पत्रादि मेरी जानकारी में पूर्णतः सत्य हैं, तथा मैंने कोई तथ्य नहीं छिपाया है।

<u>संलग्नः– सत्यप्रतिलिपि का विवरणः–</u>

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर आवेदक

नोटः– आवेदक इस निदेशालय को आवेदन पत्र भेजते समय लिफाफे पर मोटे अक्षरों में "जी.एन.एम. प्रशिक्षण 2010–11 में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र" अवश्य अंकित करें।

राजकीय प्रशिक्षण केन्द्रों का विवरण :–

क्र.सं.	नाम प्रशिक्षण केन्द्र	प्रवेश क्षमता
1.	अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय संघ, अजमेर	60
2.	अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय संघ, बीकानेर	60
3.	अधीक्षक, एस.एम.एस. हॉस्पीटल, जयपुर	60
4.	अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय संघ, जोधपुर	60
5.	अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय संघ, कोटा	60
6	अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय संघ, उदयपुर	60
7	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अलवर	60
8.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बाड़मेर	60
9.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, भीलवाड़ा	60
10.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बांसवाड़ा	60
11.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, भरतपुर	60
12.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, गंगानगर	60
13.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जालौर	60
14.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, पाली	60
15.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सीकर	60
	कुल प्रवेश क्षमता	**900**

(नोटः– बांसवाड़ा केन्द्र केवल जनजाति विकास विभाग द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है।)

Name of Private Nursing Institute

S.No.	Name of Institute	Distt.	50 प्रतिशत राजकीय कोटे से 50 प्रतिशत फैडरेशन कोटे से	विशेष विवरण
1	एम्बेसी स्कूल आफ नर्सिंग (महात्मा ज्योतिराव फूले शिक्षण संस्थान), जयपुर	Jaipur	30	
2	बी.एल.एम. इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड पैरा मेडिकल, जयपुर	Jaipur	40	
3	दीप स्कूल आफ नर्सिंग, जयपुर	Jaipur	40	
4	इन्स्टीटयूट ऑफ मेडिकल टैक्नोलोजी एण्ड नर्सिंग एज्यूकेशन, जयपुर	Jaipur	60	100 प्रतिशत राजकीय कोटे से
5	इरशाद मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग एजुकेशन, जयपुर	Jaipur	40	
6	जी. स्कूल ऑफ नर्सिंग, जयपुर	Jaipur	30	100 प्रतिशत राजकीय कोटे से
7	जयपुर हॉस्पीटल स्कूल ऑफ नर्सिंग एण्ड मेडिकल ट्रेनिंग सेन्टर, जयपुर	Jaipur	40	
8	लिबर्टी स्कूल ऑफ नर्सिंग, जयपुर	Jaipur	60 प्रोविजनल	
9	महात्मा गॉधी नेशनल इन्स्टीटयूट ऑफ मेडिकल सांईस एज्यूकेशन, जयपुर	Jaipur	40	
10	[illegible] ज्योतिबा फूले इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग,चौमू (जयपुर)	Jaipur	50 प्रोविजनल	
11	एन.आई0एम.एस. स्कूल ऑफ नर्सिंग,जयपुर	Jaipur	30	
12	श्री सांईबाबा नर्सिंग स्कूल, जयपुर	Jaipur	60 प्रोविजनल	
13	सोनी नर्सिंग स्कुल, जयपुर	Jaipur	60	
14	संजीवन इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल सांईस एण्ड नर्सिंग, जयपुर	Jaipur	30	
15	भगवान महावीर कैन्सर होस्पीटल स्कूल ऑफ नर्सिंग,जयपुर (महिलायें)	Jaipur	30	प्रोविजनल
16	रघुकुल शोध एवं तकनिकी संस्थान, जयपुर	Jaipur	50 प्रोविजनल	
17	बियानी स्कूल ऑफ नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल सांईस, जयपुर (केवल महिलाए)	Jaipur	30	
18	विनायक नर्सिंग एण्ड पैरा मेडिकल स्कूल, जयपुर	Jaipur	60	
19	केशव नर्सिंग इन्स्टीट्यूट, जयपुर	Jaipur	30	
20	[illegible].एल.एन इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एज्युकेशन, जयपुर	Jaipur	30	100 प्रतिशत राजकीय कोटे से
21	श्रीविनायक इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, कानोता (जयपुर)	Jaipur	30	
22	चांद बिहारी सीतादेवी सन्तोकबा दुलर्भजी होस्पीटल नर्सिंग स्कूल, जयपुर (केवल महिलाए)	Jaipur	60	
23	धनवन्तरी नर्सिंग इन्स्टीट्यूट जयपुर	Jaipur	50 प्रोविजनल	
24	गोरव नर्सिंग स्कूल, चौमू (जयपुर)	Jaipur	40	
25	ग्लोबल इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जयपुर	Jaipur	30 प्रोविजनल	
26	इन्द्रप्रस्थ नर्सिंग स्कूल जयपुर	Jaipur	30	100 प्रतिशत राजकीय कोटे से
27	सिद्धार्थ इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जयपुर	Jaipur	60	
28	महाराणा प्रताप नेशनल इन्स्टीटयूट ऑफ नर्सिंग एज्यूकेशन, जयपुर.	Jaipur	30	प्रोविजनल

29	महात्मा गांधी नर्सिंग स्कूल कानोता, जिला जयपुर	Jaipur	50	
30	निम्ट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, आगरा रोड जयपुर	Jaipur	40	
31	पिंकसिटी स्कूल ऑफ नर्सिंग, जयपुर	Jaipur	50	
32	शहनाज इन्स्टीटयूट ऑफ नर्सिंग, जयपुर	Jaipur	30	
33	सूर्यांश नर्सिंग स्कूल जयपुर	Jaipur	60 प्रोविजनल	
34	श्रीमती फूलादेवी नर्सिंग इन्स्टीटयूट जयपुर	Jaipur	30	
35	जयपुर स्कूल ऑफ जी0एन0एम0 ढण्ड वाया आमेर जिला जयपुर	Jaipur	30 प्रोविजनल	
36	श्री नृर्सिंग जनरल एण्ड मिडवाईफरी इन्स्टीटयूट, बयाना, जि. भरतपुर	Bharatpur	60	
37	श्री दिगम्बर हॉस्पीटल मैटरनिटी हॉस्पीटल, भरतपुर	Bharatpur	50	
38	संकल्प नर्सिंग स्कूल, धौलपुर	Dholpur	30	
39	हैल्थ एण्ड हाईजिन नर्सिंग एज्यूकेशन इन्स्टीटयूट, अलवर	Alwar	50	
40	मतरय नर्सिंग स्कूल, अलवर	Alwar	60 प्रोविजनल	
41	वी0एस0 अलवर नर्सिंग इन्स्टीट्यूट, अलवर	Alwar	30	
42	हरीश स्कूल ऑफ नर्सिंग, अलवर	Alwar	30	
43	संत सुखदेव स्कूल ऑफ नर्सिंग, अलवर	Alwar	30	
44	अन्नपूर्णा मेडिकल प्रशिक्षण संस्थान, सीकर	Sikar	50	
45	राजस्थान नर्सिंग इन्स्टीट्यूट, सीकर	Sikar	50	
46	श्री कल्याण आरोग्य सदन ,सॉवली, सीकर	Sikar	30	
47	सीकर नर्सिंग ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट एण्ड रिसर्च सेण्टर, सीकर	Sikar	60 प्रोविजनल	
48	अनुपमा नर्सिंग इन्स्टीटयूट सीकर	Sikar	30	
49	महात्मागांधी जनरल नर्सिंग सीकर	Sikar	50 प्रोविजनल	
50	नवजीवन नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल, सीकर	Sikar	30	
51	सत्यसाई स्कूल ऑफ नर्सिंग, सीकर	Sikar	40 प्रोविजनल	
52	राजस्थान नर्सिंग स्कूल, झुन्झुनु	JJN	50	
53	बिडला सार्वजनिक होस्पीटल स्कूल ऑफ नर्सिग पिलांनी (झुंझुनू) केवल महिलाए	JJN	20	
54	नोंरग राम दयानन्द डूकिया नर्सिंग स्कूल झुंझुनू	JJN	30	
55	राजस्थान इन्स्टीटयूट ऑफ नर्सिंग, चिडावा झुंझुनू	JJN	30 प्रोविजनल	
56	शेखावाटी नर्सिंग स्कूल, डून्डलोद जिला झंन्झंनू	JJN	30 प्रोविजनल	
57	रविन्द्र नर्सिंग स्कूल झुन्झुनू	JJN	30	
58	आदर्श पिलानी नर्सिंग स्कूल, पिलानी, झुंझुंनू	JJN	30	
59	राजस्थान एज्यूकेशन इन्स्टीटयूट ऑफ नर्सिंग, दौसा	Dausa	50	
60	संजीवन पैरामेडिकल एण्ड नर्सिंग ट्रेंनिग सेण्टर, दौसा	Dausa	30	
61	सरस्वती स्कूल ऑफ नर्सिंग, दौसा	Dausa	60	
62	[illegible] इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एज्युकेशन, उदयपुर	Udaipur	60	
63	गायत्री इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, उदयपुर	Udaipur	60	
64	उदयपुर इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, उदयपुर	Udaipur	60	
65	इन्दिरा एज्युकेशन इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग,उदयपुर	Udaipur	50	
66	मातेश्वरी नर्सिंग एज्युके ान इन्स्टीट्युट, उदयपुर	Udaipur	40	
67	श्रीनाथ एज्युकेशन इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, उदयपुर	Udaipur	30	
68	अरावली स्कूल ऑफ नर्सिंग, उदयपुर	Udaipur	30	
69	ग्लोबल इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, उदयपुर	Udaipur	30	प्रोविजनल

70	सिनर्जी इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, उदयपुर	Udaipur	30	
71	अरिहंत नर्सिंग इन्स्टीटयूट, उदयपुर	Udaipur	30 प्रोविजनल	
72	गीतांजली स्कूल ऑफ नर्सिंग, उदयपुर	Udaipur	100	
73	माँ गायत्री नर्सिंग इन्स्टीटयूट, उदयपुर	Udaipur	50	
74	नागफणी स्कूल ऑफ नर्सिंग, उदयपुर	Udaipur	50	
75	नागर जीएनएम स्कूल, उदयपुर	Udaipur	30 प्रोविजनल	
76	श्रीजी स्कूल ऑफ नर्सिंग, नाथद्वारा, राजसमन्द	Rajasmand	50	
77	श्रीनाथ एज्युकेशन इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग,राजसमन्द	Rajasmand	50 प्रोविजनल	
78	इन्दिरा गॉधी स्कूल ऑफ नर्सिंग, चित्तौडगढ	Chittorgarh	30	
79	एम.बी. हैल्थ एण्ड हाईजिन नर्सिंग एज्यूकेशन इन्स्टीटयूट, डूंगरपुर	Dungarpur	60	
80	कामांक्षा इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग सागवाडा जिला डूंगरपुर	Dungarpur	30	
81	संजीवनी नर्सिंग इन्स्टीटूयूट ऑफ नर्सिंग बांसवाडा	Banswara	30	
82	श्री त्रिपुरा सुन्दरी नर्सिंग स्कूल, बॉसवाडा,	Banswara	30	
83	एम.डी. मिशन इन्स्टीटयूट ऑफ पैरामेडिकल एण्ड नर्सिंग एज्यूकेशन, कोटा	Kota	40	
84	माधव इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, कोटा	Kota	30	
85	सुधा नर्सिंग स्कूल, कोटा	Kota	30	
86	श्री महर्षि दाधीच स्कूल ऑफ नर्सिंग, कोटा	Kota	40	
87	अरिहंत नर्सिंग इन्स्टीटयूट, कोटा	Kota	60	
88	ओपेरा नर्सिंग स्कूल कोटा	Kota	60	
89	सागर इन्स्टीटयूट ऑफ नर्सिंग कोटा	Kota	30 प्रोविजनल	
90	सर्वोदय इन्स्टीयूट ऑफ पैरामेडिकल नर्सिंग एज्यूकेशन, कोटा	Kota	50 प्रोविजनल	
91	चम्बल स्कूल ऑफ नर्सिंग, बूंदी	Bundi	40	
92	अरुणिमा नर्सिंग इन्स्टीटयूट बून्दी	Bundi	30	
93	गाविन्दम जनरल नर्सिंग स्कल ,हिण्डौन सिटी, करौली	Karoli	30	
94	अग्रणी इन्स्टीटयू ऑफ नर्सिंग, एण्ड मेडिकल साईन्स, करौली	Karoli	50	
95	के0जी0एन0एम0 इन्स्टीट्युट आफ नर्सिंग एज्युकेशन, झालावाड	Jhalawar	60 प्रोविजनल	
96	निरोगधाम स्कूल ऑफ नर्सिंग, झालावाड	Jhalawar	30	
97	मयुराक्षी स्कूल ऑफ नर्सिंग, जोधपुर	**Jodhpur**	50	
98	राजीव गॉधी मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग, जोधपुर	Jodhpur	50	
99	श्री बालाजी स्कूल ऑफ नर्सिंग, जोधपुर	Jodhpur	50	
100	श्री दाउ दयाल नर्सिंग इन्स्टीट्यूट, जोधपुर	Jodhpur	50 प्रोविजनल	
101	श्री लालबहादुर शास्त्री रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीटयूट, जोधपुर	Jodhpur	60	
102	व्यास नर्सिंग इन्स्टीटयूट, जोधपुर	Jodhpur	60	
103	के0एस0 मैमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग, जोधपुर	Jodhpur	30	
104	लॉर्डशिवा स्कूल ऑफ नर्सिंग.जोधपुर	Jodhpur	30	
105	भरत स्कूल ऑफ नर्सिंग, जोधपुर	Jodhpur	30	
106	डा0 राधा कृष्णन नर्सिंग इन्स्टीटयूट, जोधपुर	Jodhpur	30 प्रोविजनल	
107	मारवाड स्कूल ऑफ नर्सिंग, जोधपुर	Jodhpur	40 प्रोविजनल	
108	श्री पार्थ नर्सिंग स्कूल, जोधपुर	Jodhpur	30	
109	सावी नर्सिंग स्कूल, बाडमेर	Barmer	30	
110	पदम श्री नर्सिंग इन्स्टीटयूट फालना जिला पाली	Pali	60	

111	आर०सी० मेमोरियल नर्सिंग इन्स्टीटयूट फालना जिला पाली	Pali	30	
112	श्री करणी कृपा स्कूल ऑफ नर्सिंग, पाली	Pali	30	
113	स्कूल ऑफ नर्सिंग,जे० वातुमल ग्लोबल हॉस्पी०एण्ड रिसर्च सेण्टर, माउण्ट आबू	Mauntabu	30	
114	राजस्थान इन्स्टीटयूट ऑफ नर्सिंग, सिरोही	Sirohi	30 प्रोविजनल	
115	बीकानेर इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज बीकानेर	**Bikaner**	30	
116	एम.एन. इन्स्टीटयूट ऑफ नर्सिंग, बीकानेर	Bikaner	50 प्रोविजनल	
117	स्कूल ऑफ नर्सिंग कोठारी मेडिकल एण्ड रिसर्च इन्स्टीटयूट, बीकानेर	Bikaner	50	
118	राजीव गॉधी स्कूल ऑफ नर्सिंग, बीकानेर	Bikaner	30	
119	ब्राईट केरियर इन्स्टीटयूट ऑफ नर्सिंग बीकानेर	Bikaner	50	
120	ए०एस० स्कूल आफ नर्सिंग, श्रीगंगानगर	G.Nagar	60	
121	जुबिन नर्सिंग स्कूल, श्री गंगानगर	G.Nagar	50	
122	श्री गंगानगर नर्सिंग स्कूल, श्रीगंगानगर	G.Nagar	60	
123	एस.एन. इन्स्टीटयूट (निर्माण चेरिटेबल ट्रस्ट),श्रीगंगानगर (अल्पसंख्यक संस्था)	G.Nagar	13	सभी राजकीय कोटे से
124	मरूधर स्कूल ऑफ नर्सिंग, सूरतगढ, जिला– श्रीगंगानगर	G.Nagar	30	
125	बालाजी स्कूल ऑफ नर्सिंग, सार्दूलपुर–राजगढ (चुरू)	Churu	40	
126	श्री बालाजी नर्सिंग इन्स्टीट्यूट, सुजानगढ, जिला–चुरू	Churu	50 प्रोविजनल	
127	आदर्श नर्सिंग स्कूल चूरू	Churu	30	
128	आशा देवी इन्स्टीटयूट ऑफ नर्सिंग, चूरू	Churu	30	
129	चौधरी स्कूल ऑफ नर्सिंग, सार्दुलपुर जिला चूरू	Churu	30	
130	बंसल स्कूल आफ नर्सिंग, हनुमानगढ जंकशन	H.Garh	40	
131	फ्लोरेन्स नाईट ऐंगल स्कूल आफ नर्सिंग, हनुमानगढ जंक ान	H.Garh	40	प्रोविजनल
132	करूणा नर्सिंग स्कूल हनुमानगढ	H.Garh	60 प्रोविजनल	
133	जाजू स्कूल ऑफ नर्सिंग, अजमेर	**Ajmer**	60 प्रोविजनल	
134	रूप रजत स्कूल ऑफ नर्सिंग, ब्यावर जिला अजमेर	Ajmer	30	
135	राजस्थान हास्पिटल स्कूल ऑफ नर्सिंग, अजमेर	Ajmer	30	
136	आर.आर. नर्सिंग इन्स्टीटयूट अजमेर	Ajmer	50	
137	पूजा स्कूल ऑफ नर्सिंग ब्यावर जिला अजमेर	Ajmer	50	
138	सरदार स्कूल ऑफ नर्सिंग अजमेर	Ajmer	30	
139	सेन्ट फासिंस स्कूल ऑफ नर्सिंग अजमेर	Ajmer	30	
140	जिनियश हैल्थ एण्ड नर्सिंग शिक्षण संस्थान, भीलवाडा	Bhilwara	60	
141	कृष्णा इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, भीलवाडा	Bhilwara	30	
142	राधा कृष्ण नर्सिंग एज्यूकेशन इन्स्टीटयूट भीलवाडा	Bhilwara	30 प्रोविजनल	
143	रामस्नेही स्कूल ऑफ नर्सिंग भीलवाडा	Bhilwara	30	
144	रूही नर्सिंग कॉलज ऑफ नर्सिंग, भीलवाडा	Bhilwara	30 प्रोविजनल	
145	सर्वोदय स्कूल ऑफ नर्सिंग, नागौर	Nagour	60 प्रोविजनल	
146	श्री बलदेव राम मिर्धा इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, नागौर	Nagour	30	
147	मरूधर नर्सिंग इन्स्टीटयूट नागौर	Nagour	30	
148	श्री दरियाव नर्सिंग स्कूल, नागौर	Nagour	30	
149	रेखा देवी मेमोरियल नर्सिंग ट्रेनिग इन्स्टीट्यूट, मालपुरा, टोंक	Tonk	30	

150	राभीदेवी नर्सिंग एण्ड पैरा मेडिकल इन्स्टीट्यूट देवली, टोंक	Tonk	60 प्रोविजनल	
Total			6233	